

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo_raigarh@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.अधि./ 3808

/2021/रायगढ़, दिनांक - 19/07/2021

प्रति,

**Executive Engineer,
CSPTCL, EHT Construction
Division Bilaspur, Near Tifra
Overbridge, Bilaspur (C.G.)**

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for CONSTRUCTION work of 132 KV DCDS line to provide supply from 132/33 KV SS Kondatarai to M/s NTPC Ltd. area- 9.589 ha.- regarding

संदर्भ :-

1. छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, महानदी भवन नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2021/10-2 दिनांक 29.06.2021
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-176/1496 रायपुर दिनांक 09.07.2021

उपरोक्त विषयांतर्गत 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र कोड़ातराई से एन.टी.पी.सी. जुर्बा तक प्रस्तावित 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र -1 के माध्यम से 11 बिन्दुओं की आपत्ति ली गई है।

अतः आपत्तियों के बिन्दु क्रमांक I, IX, X, XI की कमियों की पूर्ति कर संबंधित दस्तावेज संलग्न कर इस कार्यालय को शीघ्र प्रेषित करें ताकि उक्त जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा सके।

वनमण्डलाधिकारी,

रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

पृ. क्रमांक/तक.अधि./ 3809

/2021/रायगढ़, दिनांक - 19/07/2021

प्रतिलिपि :-

1. वन परिक्षेत्राधिकारी रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। ली गयी आपत्ति के बिन्दु क्रमांक III के निर्देशानुसार उक्त प्रकरण के लिए भू-संरक्षण योजना तैयार कर प्रेषित करें।

वनमण्डलाधिकारी,

रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़